न्यायालय उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
करेड़ा (भीलवाड़ा)

FORM No. III

APP-A
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जि अदालत ______ मुकाम ______

पेप्रीउदी ______ बनाम मोहन

केस्म मुकदमा वाद ______ नं. 136 सन् 2013

110/17 करेड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.5.17	पत्रावली कैम्प शिवपुर ... पेश हुई। आगामी दिनांक 10.11.17 को पेश हो।	
	18/11/17 पत्रावली न्यायालय उपखंड अधिकारी मांडल से पुनर्गठित होकर प्राप्त हुई ... पत्रावली दिनांक 16/1/18 को वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करेड़ा (भीलवाड़ा)	
16/1/18	पत्रावली पेश हुई। वादी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से ... प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते ... दिनांक 2/4/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा	
2/4/18	समय पर उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। ~~अवकाश पर है/मसविदा है~~ अतः पत्रावली दिनांक 21/5/18 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी करेड़ा	
11.6.18	पत्रावली आज दिनांक 11.6.18 को मुकाम शिवपुर लोक अदालत शिविर में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी पक्ष उपस्थित आये।	

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर (शिवपुरा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 110/17 वाद	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
लादु कुम मोहनलाल	प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवपुर तहसील करेड़ा स्थित आराजी नं. 4256/3038 रकबा 2.00 बीघा जो वर्तमान जमाबंदी में वादीगणों के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। परन्तु रंजिशवश प्रतिवादी संख्या 01 मोहन गुर्जर वादीगणो की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से आये दिन दखलंदाजी उत्पन्न करता है तथा उपरोक्त वादग्रस्त 2.00 बीघा भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करने में वादीगणों को नाजायज परेशान करके रुकावट एवं बाधा डालता है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निवेदन किया है कि उसके द्वारा वादीगणों के पिता/पति प्रताप जी गुर्जर से वादग्रस्त आराजी सं. 4256/3038 क्रय की गई थी। जिसका एक इकरारनामा दिनांक 02.10.1993 को निष्पादित हुआ है। परन्तु 1998 में प्रताप जी की मृत्यु हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित नही होने से भूमि वादीगणों के नाम पर चली आ रही है। मैंने उभयपक्ष के कथन तथा वाद पत्र एवं जवाबदावा का अवलोकन किया। वादग्रस्त 2.00 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में वादीगणों के	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कोटड़ा (भीलवाड़ा) 110/17 वाद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित है ऐसी स्थिति में कानूनन वादग्रस्त भूमि पर वादीगणों का अधिकार निहित होने से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवैधानिक दखल को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 01 कथित इकरारनामा दिनांक 02.10.1993 के संबंध में चाराजोई सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतंत्र है। तथा उक्त कथित इकरारनामे को वैधानिक मान्यता मिलने के पश्चात ही इस पर अपना मालिकाना हक जता सकता है। अन्यथा स्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 का बार-बार दखलंदाजी उत्पन्न करना कानूनन पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। अतः वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के स्वीकार किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने के साथ-साथ मौजा शिवपुर स्थित आराजी संख्या 4256/3038 रकबा 2.00 बीघा पर भविष्य में प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) 110/17 वाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अथवा किसी अन्य व्यक्ति को परोक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दखल करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 188 R.T.A. के तहत स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया है। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रपत्र-5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- ~~रजनी माधीवाल RAS~~

~~श्रीमती पेम्पी देवी गुर्जर वगैरा~~ बनाम मोहन गुर्जर वगैरा

दावा बाबत ~~U/S 188 R.T.Act~~

मुकदमा नम्बर :- 110/17 रा॰ वाद

निर्णय दिनांक :- 11/6/18

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मोहन व पेरोकार स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/6/18 को रजनी माधीवाल (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी करेड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

~~वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं॰ 1 स्वीकार किये जाने व आदेश प्रदान किये जाने व साथ-साथ मौजा शिवपुर स्थित खा॰नं॰ 1256/3028 रकबा [illegible] बीघा पर भविष्य में प्रतिवादी सं॰ 1 स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से दखलंदाजी कराने के विरुद्ध U/S 188 R.T.A के तहत~~ स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अ॰) अक्षर काटकर शुद्ध पर अंकित है।

([signature])
पीठासीन अधिकारी
उपखंड अधिकारी पदेन
पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह व्यय	
5. सक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

अन्तगत

1-श्रीमति फेफी देवी w/o स्व.श्री प्रताप गुर्जर
नि० शिवपुरा त० करेडा
2-श्री मांगीलाल पु० स्व. श्री प्रताप गुर्जर
3-श्री कैलाश पि० स्व. श्री प्रताप गुर्जर
4-मु० लाडू पुत्री स्व. श्री प्रताप गुर्जर नि
5-मु० उमा पुत्री स्व. श्री प्रताप गुर्जर
सर्व निवासीयान शिवपुरा त० करेडा
—वादीगण।

वनाम

1-श्री मोहन पिता कसना गुर्जर नि० शिवपुरा
त० करेडा
2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा
—प्रतिवादीगण।